झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(मत्स्य प्रभाग)

सं0 सं0–5 बजट (1) 20/2022 ....374........ राँची, दिनांक– 26.03.26

शुद्धि–पत्र

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता (मत्स्य प्रभाग) द्वारा राज्य योजना–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत निर्गत स्वीकृत्यादेश सं0 42 रा0 (वि0) दिनांक 12.02.2026 के द्वारा निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य मद में कुल मो० 302.653 लाख (तीन करोड़ दो लाख पैंसठ हजार तीन सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन पूर्व वर्षों के स्वीकृत कार्यों से संबंधित बकाया शेष राशि को सम्मिलित करते हुए कुल मो० 460.18338 लाख (चार करोड़ साठ लाख अठारह हजार तीन सौ अड़तीस रुपये) मात्र के व्यय एवं योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसकी कंडिका '2' (क) के कम '2' में अंकित कार्य Redevelopment of Bund and Rearrangement of Water Escape of Button Talab, Ranchi के लिये मो0 64,11,800/– रु0 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 में मो० 30,00,000/– की व्यय की स्वीकृति प्रदत्त है।

आगामी वित्तीय वर्ष में डोरण्डा मत्स्य प्रक्षेत्र, राँची को Centre of Excellence के रुप में विकसित किये जाने के प्रस्ताव पर कार्रवाई एवं कार्य के दोहरीकरण की संभावना के मद्देनजर उल्लिखित स्वीकृत्यादेश की कंडिका '2' (क) के कम '2' को प्राप्त पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन, जिसकी कुल प्राक्कलित राशि मो० 32,19,500/– है, के आधार पर निम्नवत् रुप से प्रतिस्थापित करते हुए संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

कम	जीर्णोद्धार कार्य	प्राक्कलित/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (रु0 में)	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का स्तर	जिला / स्थापना
		लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		
2	Reconstruction of Damage Bund, Intake Well, Toe Wall and other Work at Button Talab at Doranda Ranchi	32,19,500/–*	अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं0–2, राँची द्वारा दिनांक 10.03.2026 को।	राँची

इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में निर्गत स्वीकृत्यादेश सं0 42 रा0 (वि0) दिनांक 12.02.2026 के द्वारा राज्य योजनान्तर्गत "तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना" अंतर्गत जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य मद में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि **मो0 302.653 लाख (तीन करोड़ दो लाख पैंसठ हजार तीन सौ रुपये)** के स्थान पर **मो० 270.73 लाख (दो करोड़ सत्तर लाख तिहत्तर हजार) रुपये** पढ़ा जाय।

3. उक्त कम में कंडिका '2' (i) के नोट में भी * Reconstruction of Damage Bund, Intake Well, Toe Wall and other Work at Button Talab at Doranda Ranchi हेतु प्राक्कलित/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि मो0 32,19,500/– रु0 मात्र के विरुद्ध चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत बजट उपबंध के अधीन मो0 30,00,000/– रु0 मात्र आवंटित किये जाएँगे। शेष मो0 2,19,500/– रु0 मात्र का व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 में इसी मद में समुचित बजट उपबंध प्राप्त करते हुए किया जा सकेगा।

4. स्वीकृत्यादेश सं0 42 रा0 (वि0) दिनांक 12.02.2026 को इस हद तक संशोधित समझा जाय। निर्गत स्वीकृत्यादेश की अन्य कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

5. प्रस्ताव पर मा० विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

6. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 374 /रॉची, दिनांक 26.03.26
प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 374 /रॉची, दिनांक 26.03.26
प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 374 /रॉची, दिनांक 26.03.26
प्रतिलिपिः– निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची/संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल/योजना विभाग, झारखण्ड, रॉची/वित्त विभाग (बजट शाखा) झारखण्ड, रॉची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त (सभी)/उपायुक्त (सभी) एवं उप विकास आयुक्त (सभी)/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव